

जिला कल्याण अधिकारी, हिसार द्वारा विभागीय स्कीमों की प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2008-09

क्र.स.	लक्ष्य	राशि	प्राप्त लक्ष्य	स्कीम का नाम
1	मकान स्कीम	320	1,60,00,000
				मकान स्कीम अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु 50,000/- रुपये का अनुदान उन लाभप्राप्तों को दिया जाता है जिसके पास रहने योग्य मकान न हो तथा प्रार्थी का नाम बी.पी.एल. सूची में दर्ज हो मकान अनुदान के आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल चल रही है। मास मार्च, 2009 में लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।
2	अन्तर्जातीय विवाह योजना	7	3,50,000	7
				इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज में भेद भाव एवम् हठाच्छुत खतम करना होता है इस स्कीम में लाभ केवल उन्ही जोड़े को दिया जाता है जो कि एक अनुसूचित जाति से दूसरा अन्य किसी भी जाति से सम्बन्ध रखता हो। उस जोड़े को 50,000/- रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। वर्ष 2008-09 में प्राप्त ऐसे जोड़ों को 3,50,000/- रुपये की राशि प्रदान की गई है। इनमें से <i>पड़त क्षतापादों का 111 जोड़ों को 4,50,000 रुपये के अन्तर्गत</i>
3	इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी शांति योजना	1100	12453000	906
				इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे समाज के सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता देकर उसकी लड़कियों को शादी पर अनुदान प्रकार करना समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी हेतु 15000/- रुपये तथा पिछड़े/सामान्य वर्ग के लिए 5100/- रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 में 906 लाभ प्राप्तों को 1,24,53,000 /- रुपये की राशि प्रदान की गई है।

4	अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम 1995	3	237500	3
5	पंचायत प्रोत्साहन	3	150000
6	कल्याण केन्द्र	180	216000	180
7	प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि	600	10,00,000	336

इस अधिनियम के अधीन गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार किए जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत 15,000/- रुपये से लेकर 2,00,000/- रुपये तक कि आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 में तीन व्यक्तियों को 2,37,500/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस स्कीम की शुरुआत 1995 में की गई थी।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जो ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति के लिए भलाई का कार्य करती है उस पंचायत को 50,000/- रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। वर्ष 2008-09 में तीन पंचायतों को मास मार्च में अनुदान स्वीकृत कर दिया जावेगा।

अनुसूचित जाति के लड़कियों व हरिजन विधवाओं को एक साल का सिलाई प्रशिक्षण मुफ्त व प्रशिक्षण के दौरान 100/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिमाह वर्जोफे के तौर पर दिए जाते हैं। सिलाई प्रशिक्षण के उपरान्त प्रति प्रशिक्षणार्थी एक सिलाई मशीन मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि गरीब प्रशिक्षणार्थी अपनी आजीविका कमा सकें।

अनुसूचित जाति छात्रों को प्रथम श्रेणी प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस स्कीम के तहत बारहवीं कक्षा के छात्रों को 3000/- रुपये, बी.ए. फाइनल में 4500/- तथा पोस्ट ग्रेजुएट मैट्रिकल इजीनियरिंग आदि में 6000/- रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। वर्ष 2008-09 में 336 छात्रों को 10,00,000/- रुपये की राशि दी जा चुकी है।

Savitri Saini
 सवित्री कल्याण अधिकारी, हिसार।